Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अजमेर में पुलिस थाना अलवरगेट का सहायक उपनिरीक्षक पुलिस 7 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *04 अक्टूबर, बुधवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये विजेन्द्र सिंह मीणा सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी नाका मदार, पुलिस थाना अलवरगेट, अजमेर को परिवादी से **7 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि लड़की को भगाने के संबंध में दर्ज प्रकरण में मदद करने एवं धारा 151 में बंद करने की धमकी देकर विजेन्द्र सिंह मीणा सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी नाका मदार, पुलिस थाना अलवरगेट, अजमेर द्वारा 15 **हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी अजमेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अतुल साहू** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री दीनदयाल** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये विजेन्द्र सिंह मीणा सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी नाका मदार, पुलिस थाना अलवरगेट, अजमेर को परिवादी से **7 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सहायक उपनिरीक्षक पुलिस द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से **5 हजार रुपये** रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।